

अध्याय – चतुर्थ
प्रदत्तो का विश्लेषण, परिणाम तथा व्याख्या



अध्याय—चतुर्थ

प्रदत्तों का विश्लेषण, परिणाम तथा व्याख्या

प्रस्तुत अध्याय में संकलित प्रदत्तों का विश्लेषण, परिणाम तथा व्याख्या का वर्णन किया गया है। प्रदत्तों का विश्लेषण उपकरणों के क्रम अनुसार किया है। इसकी व्याख्या निम्नानुसार है :-

अवलोकन अनुसूची

• भाषा विकास

4.1.1

तालिका क्रमांक 4.1.1

बच्चों के श्रवण कौशल के विकास के लिए कराई जाने वाली क्रियाओं का विवरण-

क्रियाएँ	विद्यालय की संख्या (N=10)	प्रतिशत
कहानियाँ	9	90%
गीत व कविता	9	90%
विभिन्न आवाज (साउण्ड)	3	30%
कहना (नरेशन)	2	20%
खेल	-	

तालिका क्रमांक 4.1.1 यह दर्शाती है, कि विभिन्न 10 पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के श्रवण कौशल के विकास के लिए विभिन्न 9(90%) विद्यालय के शिक्षक कहानी सुनाते हैं, 9(90%) विद्यालय के शिक्षक गीत व कविता उपयोग करते हैं, 3(30%) विद्यालय के शिक्षक विभिन्न आवाज बोलकर इस को पहचानने के लिए बच्चों को प्रेरित करते हैं और 2(20%) विद्यालय में बच्चों को निर्देश देकर तथा विभिन्न कार्य करने के लिए कह कर उसमें भाषा व भाव समझने के प्रयास कराये जाते हैं। जबकि श्रवण कौशल के विकास के लिए किसी विशेष खेल का आयोजन किसी विद्यालय में नहीं किया जाता।

डी.ए.वी. संगठन द्वारा निर्मित निर्देशों व ई.सी.ई. पाठ्यक्रम के अनुसार सभी पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के श्रवण कौशल के विकास के लिए शिक्षक को कहानी सुनाना, गीत व कविता गाना निर्देश देना, विभिन्न आवाज के खेल आदि क्रियाएँ करानी चाहिए।

इस ई.सी.ई. पाठ्यक्रम के संदर्भ में अलग-अलग 9 विद्यालयों में कहानी सुनाना तथा गीत व कविता गाना, 3 विद्यालयों में विभिन्न आवाजें निकालने वाले खेल कराए जाते थे जबकि 2 विद्यालय में शिक्षक बोल कर निर्देश देना जैसे- बैठो, चलो, शांत रहो, आदि क्रियाएँ कराते हैं, जबकि शेष विद्यालय में इन क्रियाओं व खेल को अनदेखा किया गया।

4.1.2.

तालिका क्रमांक - 4.1.2

विभिन्न आवाजों को पहचानने व अंतर बताने के लिए उपयोग किये जाने वाले उपकरण का विवरण -

उपकरण	विद्यालय की संख्या (N=10)	प्रतिशत
टेप रिकार्डर	8	60%
सीडी	4	40%
कम्प्यूटर	4	40%
टी.वी.	3	30%
संगीत वाद्ययंत्र	3	30%
साउण्ड बॉक्स	1	10%
शिक्षक की आवाज	9	90%

तालिका क्रमांक 4.1.2. के अनुसार बच्चों को विभिन्न आवाजों को पहचानने व उनमें अंतर बताने के लिए 10 पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में से 8 (80%) विद्यालय के शिक्षक टेप रिकार्डर उपयोग करते हैं, 9 (90%) विद्यालयों के शिक्षक स्वयं विभिन्न जानवरों, वाद्ययंत्रों आदि के आवाजे निकालते हैं, भिन्न 4 (40%) विद्यालयों में कम्प्यूटर उपयोग किये जाते हैं, 4 (40%) विद्यालयों में बच्चों को सीडी दिखाई जाती है। भिन्न 3 (30%) विद्यालय में टीवी उपयोग करते हैं जबकि अन्य 3 (30%) विद्यालयों में शिक्षक संगीत वाद्ययंत्र का भी उपयोग करते हैं, 1 (10%) विद्यालय में बच्चों को साउण्ड बाक्स द्वारा यह अनुभव प्रदान किया जाता है।

ई.सी.ई. पाठ्यक्रम के अनुसार विद्यालयों में टेप-रिकार्डर, साउण्ड बाक्स, संगीत वाद्ययंत्र आदि उपकरण आदि द्वारा बच्चों में आवाज पहचानने की क्षमता विकसित की जानी चाहिए।

इस संदर्भ में 8 विद्यालयों में टेप रिकार्डर उपयोग किया जाता है जबकि 9 विद्यालयों में शिक्षक स्वयं विभिन्न आवाजे निकालकर बच्चों को उससे पहचानने को कहता है। सीडी, टीवी, संगीत वाद्ययंत्र आदि उपकरण भी विद्यालयों में उपयोग किये जाते हैं।

4.1.3.

तालिका क्रमांक 4.1.3

बोलने की क्षमता के विकास के लिए कराई जाने वाली क्रियाओं का विवरण-

क्रियाएँ	विद्यालय की संख्या (N=10)	प्रतिशत
बच्चों से कहानी सुनना	5	50%
गीत व कविता	7	70%
समूह उद्बोधन	4	40%
किताब पढ़ना	3	30%
शब्द पुनरावृत्ति	5	50%
प्रश्न पूछना	4	40%
चित्र पुस्तक	1	10%
खेल द्वारा	1	10%
संवाद	3	30%

तालिका क्रमांक 4.1.3 यह दर्शाती है कि बच्चों में बोलने की क्षमता के विकास के लिए 10 पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में से 7 (70%) विद्यालयों में शिक्षक गीत व कविता का

उपयोग करते हैं, 5(50%) विद्यालयों में शिक्षक बच्चों को किसी वस्तु या जानवर आदि कहानी सुनाने के लिए कहते हैं, 5(50%) विद्यालयों में शिक्षक शब्दों को बोल कर बच्चों से उनकी पुनरावृत्ति कराते हैं, 4(40%) विद्यालयों में शिक्षक बच्चों को उनके समूह या कक्षा को संबोधित करने के लिए कहते हैं, 4(40%) विद्यालयों में शिक्षक बच्चों से प्रश्न पूछते हैं जो उनके परिवार या दिनचर्या से संबंधित हो तथा 3(30%) विद्यालय में पुस्तक पढ़वाते हैं। 1-1 (10%) विद्यालय में चित्र पुस्तक तथा खेल के द्वारा बच्चों में बोलने की क्षमता को विकसित किया जाता है।

ई.सी.ई. पाठ्यक्रम के अनुसार बच्चों में शब्दकोष तथा स्पष्ट व सही बोलने की क्षमता का विकास करने के लिए संवाद, चित्र पुस्तक कहानी तथा गीत व कविता आदि क्रियाएँ शिक्षकों द्वारा कराई जानी चाहिए।

इसके अनुसार 7 विद्यालयों में शिक्षक गीत, कविता, 5 विद्यालय में कहानी तथा अलग-अलग 4-4 विद्यालय में प्रश्न-उत्तर तथा समूह संबोधन द्वारा संवाद क्रियाएँ कराई जाती हैं। पुस्तक पढ़ना, खेल द्वारा तथा चित्र-पुस्तक द्वारा शब्दकोष व बोलने की क्षमता का विकास किया जाता है।

4.1.4

तालिका क्रमांक 4.1.4


पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए कराई जाने वाली क्रियाओं का विवरण-

क्रियाएँ	विद्यालय की संख्या (N=10)	प्रतिशत
अक्षर-ज्ञान	8	80%
चित्र-पठन	5	50%
जोड़ा-बनाना	2	20%
पुस्तक पाठन	5	50%
प्लेश कार्ड	2	20%
चार्ट/चित्र	2	20%

तालिका क्रमांक 4.1.4 से स्पष्ट है बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए 10 पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में से 8 (80%) विद्यालयों में शिक्षक बच्चों को अक्षर-ज्ञान कराते हैं, 5(50%) विद्यालयों में शिक्षक चित्र-पुस्तकों का उपयोग कराते हैं, 2(20%) विद्यालयों में जोड़ा बनाना, 2(20%) विद्यालयों में प्लेश कार्ड तथा 2(20%) विद्यालयों में चित्र व चार्ट का उपयोग शिक्षकों द्वारा किया जाता है। जबकि 5(50%) विद्यालयों में बच्चों से पुस्तक पाठन कराया जाता है।

ई.सी.ई. पाठ्यक्रम के अनुसार बच्चों में दृश्य-श्रुत्य समायोजन तथा पढ़ने की आदत के विकास के लिए चित्र कार्ड, चार्ट तथा चित्र-पठन, जोड़ा बनाना, अक्षर-ज्ञान तथा इन्हें जोड़ने की योग्यता का विकास करने के लिए शिक्षक को क्रियाएँ कराई जानी चाहिए।

इसके संदर्भ में 10 विद्यालयों में से इसके संदर्भ में अक्षर ज्ञान 8 विद्यालयों में कराया जाता है। 5 विद्यालयों में चित्र-चित्र तथा 2 विद्यालयों में जोड़ा बनाना तथा 2 विद्यालयों में चार्ट/चित्र कार्ड द्वारा पढ़ने की आदत के विकास की क्रियाएँ कराई जाती है।



4.1.5

तालिका क्रमांक 4.1.5

लिखने की आदत व नेत्र हाथ समन्वय के विकास के लिए कराई जाने वाली क्रियाओं का विवरण -

क्रियाएँ	विद्यालय संख्या (N=10)	प्रतिशत
लिखना	6	60%
डॉट जोड़ना	6	60%
चित्र बनाना	9	90%
प्रिंटिंग	2	20%
गेंद	3	30%
ब्लॉक बनाना	4	40%
मोती के खेल	1	10%
क्रमबद्ध करना	1	10%

तालिका क्रमांक 4.1.5 यह दर्शाती है कि 10 पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में से 6(60%) विद्यालयों में लिखना है, 6(60%) विद्यालयों में डॉट जोड़कर नेत्र हाथ समन्वय विकसित किया जाता है, 9(90%) विद्यालयों में इसके लिए शिक्षक बच्चों से चित्र बनवाते हैं, 2 (20%) विद्यालयों में थम्ब प्रिंटिंग, 3(30%) विद्यालयों में गेंद से खेलना, 4(40%) विद्यालयों में ब्लाक बनाना क्रियाएँ कराई जाती हैं, 1(10%) विद्यालय में मोती के खेल तथा 1(10%) विद्यालय में वस्तुओं को आकार के अनुसार क्रमबद्ध करना जैसी क्रियाएँ कराई जाती हैं।

ई.सी.ई. पाठ्यक्रम के बच्चों में लिखने की आदत का विकास करने तथा नेत्र-हाथ समन्वय विकसित करने के लिए ट्रेसिंग/डॉट जोड़ना तथा लिखने की क्रिया को महत्वपूर्ण माना है।

इसके संदर्भ में अवलोकन में यह पाया गया कि केवल 6 विद्यालय में लिखना, 6 विद्यालय में डॉट जोड़ने की क्रियाएँ कराई जाती हैं तथा विद्यालयों में अन्य क्रियाएँ भी कराई जाती हैं।

- बौद्धिक विकास :-

4.1.6

तालिका क्रमांक 4.1.6

बच्चों में समझने, पहचानने आदि की क्षमता के विकास के लिए विद्यालय में होने वाली क्रियाओं का विवरण -

क्रियाएँ	विद्यालय संख्या (N=10)	प्रतिशत
वस्तु पहचानना	9	90%
वस्तु तुलना	3	30%
कहानी	2	20%
पहेलियाँ	2	20%
चित्र तथा मॉडल	7	70%
भिन्न आकृति द्वारा	3	30%
शिक्षक द्वारा व्याख्या	3	30%

तालिका क्रमांक 4.1.6 यह दर्शाती है कि 10 पूर्व प्राथमिक विद्यालय में से 9(90%) विद्यालयों में बच्चों को किसी वस्तु की पहचान व समझने के लिए शिक्षक वस्तु की पहचान

कराता है, 3(30%) विद्यालयों में छोटा/बड़ा, अधिक/कम आदि को समझाने के लिए वस्तु तुलना कराई जाती है, 2(20%) विद्यालय में शिक्षक कहानी, 2 (20%) विद्यालय में पहेलियों का उपयोग करते हैं, 7(70%) विद्यालयों में चित्र/मॉडल का प्रयोग होता है, 3(30%) विद्यालय में विभिन्न आकृतियों द्वारा, 3 (30%) विद्यालयों में शिक्षक द्वारा व्याख्या प्रत्ययों का समझाया जाता है।

ई.सी.ई. पाठ्यक्रम के अनुसार, बच्चों में बौद्धिक विकास के लिए आकार, मात्रा, आकृति, रंग आदि प्रत्ययों को तुलना द्वारा तथा आकृति में कूदना, पहेलियों आदि क्रियाओं का उपयोग करना चाहिए।

इस पाठ्यक्रम के संदर्भ में 10 पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में से 3 विद्यालयों में तुलना, 3 विद्यालयों में विभिन्न आकृति द्वारा, 2 विद्यालयों में पहेलियों द्वारा बच्चों की बौद्धिक क्षमता के विकास की क्रियाएँ कराई जाती है, शेष विद्यालयों में इसकी अपेक्षा की गई परन्तु इन क्रियाओं के अतिरिक्त कई अन्य क्रियाएँ विद्यालयों में संचालित की जाती है।

4.1.7

तालिका क्रमांक 4.1.7

ज्ञानेन्द्रिय संवेदना विकास के लिए विद्यालय में प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का विवरण -

क्रियाएँ	विद्यालय संख्या (N=10)	प्रतिशत
दृश्य- विभिन्न आकार व बनावट	4	40%
स्वाद- मीठा, खट्टा, नमकीन	3	30%
गंध- विभिन्न गंध की वस्तुएं	2	20%
स्पर्श- कठोर नर्म, सूखा-गीला	8	80%
श्रव्य- विभिन्न आवाज	3	30%

तालिका क्रमांक 4.1.7 यह दर्शाती है कि 10 पूर्व प्राथमिक विद्यालय में से 4(40%) विद्यालय के शिक्षक विभिन्न आकृति व बनावट द्वारा दृश्य, 2(20%) विद्यालय में शिक्षक मीठा, खट्टा, नमकीन पदार्थों द्वारा स्वाद, 3(30%) विद्यालय में शिक्षक विभिन्न गंध की वस्तुओं द्वारा गंध, 8(80%) विद्यालय में शिक्षक विभिन्न आवाजों द्वारा श्रव्य ज्ञानेन्द्रियाँ संवेदना विकसित करने के लिए क्रियाएँ कराते हैं।

ई.सी.ई. पाठ्यक्रम के अनुसार सभी पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में विभिन्न आकृति व बनावट द्वारा दृश्य, विभिन्न खाद्य पदार्थों द्वारा स्वाद, विभिन्न फूल व गंध वाली वस्तुओं द्वारा गंध, विभिन्न वस्तुओं द्वारा स्पर्श तथा विभिन्न आवाजों द्वारा श्रव्य ज्ञानेन्द्रिय संवेदना विकसित करने की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।

इस संदर्भ में 4 विद्यालय विभिन्न आकृति द्वारा दृश्य, 3 विद्यालय विभिन्न खाद्य पदार्थों द्वारा स्वाद, 2 विद्यालय विभिन्न गंध की वस्तुओं द्वारा गंध, 8 विद्यालय विभिन्न वस्तुओं द्वारा स्पर्श, 3 विद्यालय विभिन्न आवाजों द्वारा श्रव्य ज्ञानेन्द्रिय संवेदना विकसित करने के लिए सुविधा प्रदान करते हैं। अतः केवल 3-4 विद्यालयों में बच्चों में ज्ञानेन्द्रिय संवेदना विकसित करने हेतु क्रियाएँ कराई जाती थी।

4.1.8

तालिका क्रमांक 4.1.8

पर्यावरण अवधारणाओं के विकास हेतु विद्यालय में होने वाली गतिविधियों का विवरण -

गतिविधियाँ	विद्यालय संख्या (N=10)	प्रतिशत
कहानी	1	10%
फील्ड ट्रिप	6	60%
चित्र व चार्ट	9	90%
सीडी/फिल्म	4	40%
गार्डन में खेलना	3	30%

तालिका क्रमांक 4.1.8 यह दर्शाती है कि 10 पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में से 1(10%) विद्यालय में कहानी, 6(60%) विद्यालयों में फील्डट्रिप, 9(90%) विद्यालयों में चित्र व चार्ट, 4(40%) विद्यालयों में सीडी/फिल्म, 3(30%) विद्यालय में गार्डन में खेलना क्रियाएँ शिक्षक द्वारा बच्चों में पर्यावरण की जानकारी (जैसे-पेड़, जानवर आदि) हेतु कराई जाती है।

ई.सी.ई. पाठ्यक्रम के अनुसार बच्चों में पर्यावरणीय अवधारणाओं-पानी, हवा, पेड़-पौधों, जानवर, पक्षी आदि के विकास के लिए विद्यालयों में खेल फील्ड ट्रिप, चित्र द्वारा जानकारी आदि गतिविधियाँ शिक्षक द्वारा कराई जानी चाहिए।

इस संदर्भ 9 विद्यालयों में चित्र/चार्ट, 6 विद्यालयों में फील्ड ट्रिप, 3 विद्यालयों में गार्डन में खेलना आदि क्रियाएँ कराई जाती है। इन क्रियाओं के माध्यम से अधिकांश पर्यावरणीय अवधारणा की जानकारी दी जाती है।

4.1.9

तालिका क्रमांक 4.1.9

सोचने की क्षमता के विकास के लिए होने वाली गतिविधियों का विवरण -

गतिविधियाँ	विद्यालय संख्या (N=10)	प्रतिशत
कहानियाँ	5	50%
पहेलियाँ	4	40%
चित्र/चार्ट	4	40%
क्ले मॉडलिंग	3	30%
चित्र बनाना	2	20%
प्रश्न पूछना	6	60%
छात्रों की स्वतंत्र बातें	2	20%
वस्तु क्रम से लगाना (सीरिएशन)	1	10%

तालिका क्रमांक 4.1.9 यह प्रदर्शित करती है कि बच्चों में सोचने की क्षमता के विकास के लिए 10 पूर्व प्राथमिक में से 5(50%) विद्यालयों में कहानियाँ, 4 (40%) विद्यालयों में पहेलियाँ, 4(40%) विद्यालयों में चित्र/चार्ट, 3(30%) विद्यालयों में क्ले मॉडलिंग, 2(20%) विद्यालयों में चित्र बनाना, तथा छात्रों की स्वतंत्र बातें, 6 (60%) विद्यालयों में प्रश्न पूछना, 1(10%) विद्यालय में वस्तुक्रम से लगाना क्रियाएँ कराई जाती है।

ई.सी.ई. पाठ्यक्रम के अनुसार बच्चों में सोचने की क्षमता विकसित करने के लिए विद्यालय में विभिन्न किरदार निभाना, जोड़ा-बनाना, ब्लॉक बनाना, पहलियाँ, क्ले मॉडलिंग आदि क्रियाएँ कराई जाना चाहिए।

इस संदर्भ में बच्चों द्वारा विभिन्न किरदार निभाने वाले खेल की उपेक्षा की गई लेकिन अन्य क्रियाएँ अधिकांश विद्यालय में कराई जाती हैं।

• सृजनात्मक तथा कलात्मक विकास

4.1.10

तालिका क्रमांक 4.1.10

बच्चों के सृजनात्मक तथा कलात्मक विकास के लिए विद्यालय में होने वाली क्रियाओं का विवरण -

क्रियाएँ	विद्यालय की संख्या (N=10)	प्रतिशत
चित्र बनाना	3	30%
रंग भरना	9	90%
थम्ब प्रिंटिंग	5	50%
क्ले मॉडलिंग	4	40%
पेपर फाल्डिंग	5	50%
क्राफ्ट	5	50%
रद्दी सामान से नई चीज बनाना	2	20%

तालिका क्रमांक 4.1.10 यह प्रदर्शित करती है कि बच्चों के सृजनात्मक तथा कलात्मक विकास के लिए 10 पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में से 3(30%) विद्यालयों में चित्र बनाना, 9(90%) विद्यालयों में रंग भरना, भिन्न 5(50%) विद्यालयों में थम्ब प्रिंटिंग, पेपर फोल्डिंग, क्राफ्ट वर्क, 4(40%) विद्यालयों में क्ले मॉडलिंग तथा 2 (20%) विद्यालयों में रद्दी सामान से नई चीज बनाना आदि क्रियाएँ कराई जाती थी।

बच्चों में सृजनात्मक तथा कलात्मक सोच के विकास के लिए ई.सी.ई. पाठ्यक्रम में ऐसी किसी भी क्रियाओं को शामिल किया गया है जिसमें बच्चों के बुद्धि का अनुप्रयोग हो। इस उद्देश्य के संदर्भ में लगभग 9 विद्यालयों में ऐसी क्रियाएँ कराई जाती हैं।

4.1.11

तालिका क्रमांक 4.1.11

बच्चों में आत्म-अभिव्यक्ति के विकास के लिए कराई जाने वाली गतिविधियों का विवरण -

गतिविधियाँ	विद्यालय की संख्या (N=10)	प्रतिशत
नृत्य करना	4	40%
बच्चों से कहानी सुनना	4	40%
खेल	4	40%
फॉसी ड्रेस	3	30%
गीत/नाटक	6	60%
प्रश्न पूछना	5	50%

तालिका क्रमांक 4.1.11 यह प्रदर्शित करती है कि 10 पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में से विभिन्न 4(40%) विद्यालयों में नृत्य करना, बच्चों से कहानी सुनना, खेलना, 3(30%) विद्यालयों में फैंसी ड्रेस, 6(60%) विद्यालयों में गीत/नाटक, 5(50%) विद्यालयों में प्रश्न पूछ कर शिक्षक बच्चों के भाव जानने की कोशिश करते हैं यह सभी क्रियाएँ बच्चों में आत्म अभिव्यक्ति की भावना के विकास के लिए कराई जाती है।

ई.सी.ई पाठ्यक्रम के अनुसार बच्चों में आत्म अभिव्यक्ति के विकास के लिए कहानियाँ/नाटक, गीत बनाना, विभिन्न भूमिका निभाना, कुठपुतलियों का खेल आदि क्रियाएँ करानी चाहिए।

इस संदर्भ में लगभग 5-6 विद्यालय इस ओर ध्यान देते हैं व उनमें उपरोक्त क्रियाएँ कराई जाती है। शेष विद्यालयों में इस पक्ष की ओर ध्यान नहीं दिया गया।

• शारीरिक विकास

4.1.12

तालिका क्रमांक 4.1.12

बच्चों के शारीरिक विकास के लिए विद्यालय में कराई जाने वाली क्रियाओं का विवरण -

क्रियाएँ	विद्यालय की संख्या (N=10)	प्रतिशत
पी.टी./ड्रिल	8	80%
सामान्य व्यायाम	3	30%
योग	3	30%
खेल-कूद	6	60%

तालिका क्रमांक 4.1.12 यह दर्शाती है कि बच्चों के शारीरिक विकास के क्रम में 10 पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में से 8(80%) विद्यालयों में पी.टी./ड्रिल, भिन्न-भिन्न 3(30%) विद्यालयों में सामान्य व्यायाम, योग तथा 6(60%) विद्यालय में खेलकूद की क्रियाएँ कराई जाती है।

ई.सी.ई. पाठ्यक्रम के अनुसार बच्चों के शारीरिक विकास के लिए विद्यालयों में बॉल के साथ खेलना, दौड़ने-चलने वाले खेल, समूह खेल, झूलना, फिसलने आदि के उपकरण वाले खेल आदि क्रियाएँ होनी चाहिए।

इस संदर्भ में चलने-दौड़ने के क्रम में 8 विद्यालयों में पीटी/ड्रिल, झूलने, फिसलने आदि के अनुभव के साथ खेलने हेतु विद्यालयों में खेलकूद की क्रियाएँ कराई जाती है। इसके अतिरिक्त 3 विद्यालयों में सामान्य व्यायाम तथा योग कराया जाता है। जबकि शेष दो विद्यालयों में इस पक्ष की उपेक्षा की गई।

• स्वास्थ्य तथा पोषण

4.1.13

तालिका क्रमांक 4.1.13

बच्चों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने के लिए विद्यालय में होने वाली गतिविधियाँ का विवरण -

गतिविधियाँ	विद्यालय की संख्या (N=10)	प्रतिशत
टॉयलेट ट्रेनिंग	4	40%
यूनीफॉर्म जाँचना	7	70%
नाखून जाँचना	6	60%
बाल जाँचना	6	60%

जूते जाँचना	1	10%
अच्छी आदतों का प्रशिक्षण	6	60%
डॉक्टर का विद्यालय भ्रमण	4	40%

तालिका क्रमांक 4.1.13 यह दर्शाती है कि 10 पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में से 4(40%) विद्यालयों में टॉयलेट ट्रेनिंग, 7(70%) विद्यालयों में यूनीफार्म जाँचना, भिन्न-भिन्न विद्यालयों में नूखन जाँचना, बाल जाँचना तथा 4(40%) विद्यालयों में डॉक्टर को विद्यालय में बुलाकर बच्चों में स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाने का प्रयास किया जाता था।

ई.सी.ई पाठ्यक्रम के अनुसार बच्चों का प्रसाधन क्षेत्र में अवलोकन तथा उन्हें निर्देशन देना चाहिए, उन्हें अस्पताल की फील्ड ट्रिप पर के जाया जा सकता है, डॉक्टर को विद्यालय में बुलाकर तथा अच्छी आदतों व स्वस्थ भोजन पर विचार विमर्श द्वारा बच्चों को स्वच्छता तथा स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए।

इस संदर्भ में 4 विद्यालयों में टॉयलेट ट्रेनिंग, डॉक्टर, का विद्यालय भ्रमण तथा 6 विद्यालयों में अच्छी आदतों का प्रशिक्षण जैसी क्रियाएँ होती हैं जबकि 6 विद्यालयों में यूनीफार्म जाँचना, बाल जाँचना तथा जूते जाँचना आदि क्रियाएँ भी होती थी।

4.1.14

तालिका क्रमांक 4.1.14

बच्चों की स्वास्थ्य तथा पोषण संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु विद्यालय में होने वाली क्रियाओं का विवरण -

क्रियाएँ	विद्यालय की संख्या (N=10)	प्रतिशत
मेडिकल चेकअप	10	100%
अभिभावकों की सलाह	7	70%
स्वस्थ आहार के लिए बच्चों को बताना	4	40%
आहार देना	2	20%

तालिका क्रमांक 4.1.14 यह दर्शाती है 10 पूर्व प्राथमिक विद्यालय में से सभी 10(100%) विद्यालयों में मेडिकल चेकअप, 7(70%) विद्यालयों में बच्चों के पोषण के लिए अभिभावकों को सलाह दी जाती थी, 4(40%) विद्यालयों में शिक्षक स्वस्थ आहार के बारे में बच्चों को बताते थे, 2(20%) विद्यालयों में बच्चों को सप्ताह में एक बार आहार दिया जाता था।

ई.सी.ई. कार्यक्रम में बच्चों का स्वास्थ्य एवं पोषण एक महत्वपूर्ण घटक है। इसकी पूर्ति हेतु प्रत्येक विद्यालय में बच्चों का नियमित मेडिकल चेकअप होना चाहिए। उन्हें स्वस्थ आहार प्रदान किया जाना चाहिए।

इस संदर्भ सभी 10 विद्यालयों में छात्रों का मेडिकल चेकअप किया जाता था। 2 विद्यालय में सप्ताह में एक बार आहार प्रदान किया जाता था। इसके अतिरिक्त 7 विद्यालयों में शिक्षक स्वस्थ आहार हेतु अभिभावकों को सलाह देते थे जबकि 4 विद्यालयों में शिक्षक सीधे बच्चों को स्वस्थ आहार के बारे में बताते थे।

• सामाजिक तथा भावनात्मक विकास

4.1.15

तालिका क्रमांक 4.1.15

बच्चों के सामाजिक तथा भावनात्मक विकास के लिए विद्यालय में कराई जाने वाली क्रियाओं का विवरण :-

क्रियाएँ	विद्यालय की संख्या (N=10)	प्रतिशत
कहानी	2	20%
नृत्य/नाटक	3	30%
सामूहिक खेल	6	60%
टिफिन शेयरिंग	5	50%
विभिन्न दिवस/उत्सव मनाना	2	20%
सामूहिक कार्य	2	20%
शिक्षक द्वारा निर्देशन	3	30%
अभिभावक का भ्रमण	1	10%

तालिका क्रमांक 4.1.15 यह प्रदर्शित करती है 10 पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में से 6(60%) विद्यालयों में सामूहिक खेल, 5(50%) विद्यालयों में टिफिन शेयरिंग, भिन्न-भिन्न 2(20%) विद्यालयों में कहानी, विभिन्न दिवस/उत्सव मनाना, सामूहिक कार्य करना, भिन्न 3(30%) विद्यालयों में नृत्य/नाटक क्रियाएँ तथा शिक्षक छात्रों को निर्देशित करते हैं। जबकि एक विद्यालय में अभिभावकों को बुलाया जाता था। जिससे बच्चों में सहयोग, समन्वय तथा सामूहिक कार्य की आदत का विकास हो सके।

ई.सी.ई. पाठ्यक्रम के अनुसार विद्यालय में पेंटिंग, कहानी, नाटक, अभिभावक का भ्रमण, सामूहिक कार्य, विभिन्न दिवस/उत्सव मनाना आदि क्रियाएँ बच्चों के सामाजिक तथा भावनात्मक विकास के लिए कराई जानी चाहिए।

इस संदर्भ में 1 से लेकर 5 विद्यालयों में यह क्रियाएँ कराई जाती है जबकि शेष 5 विद्यालयों में इनकी उपेक्षा की गई।

प्रश्नावली (प्रशासक के लिए)

• भौतिक सुविधाएँ

4.2.1

तालिका क्रमांक 4.2.1

बच्चों के घर से विद्यालय की औसत दूरी का विवरण -

विद्यालय	वाहन सुविधा सहित दूरी (कि.मी.)	औसत दूरी	विद्यालय	बिना वाहन सुविधा दूरी (कि.मी.)	औसत दूरी
1	2-8	5	1	1-3	2
2	5-15	10	2	1-2	1.5
3	10-20	15	3	2-4	3
4	5-15	10			
5	2-5	3.5			
6	1-3	2			
7	10	10			

तालिका क्रमांक 4.2.1 यह दर्शाती है कि 10 पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में से 7 विद्यालय वाहन सुविधा प्रदान करते हैं जबकि 3 विद्यालय वाहन सुविधा प्रदान नहीं करते।

प्रारंभिक बाल शिक्षा (ई.सी.ई.) मानदण्डों के अनुसार वाहन सुविधा प्रदान नहीं करने वाले विद्यालयों व बच्चों के घर के मध्य औसत दूरी 1/2 किलोमीटर से 1 किलोमीटर होना चाहिए तथा वाहन सुविधा के साथ विद्यालय से बच्चों के घर तक की दूरी 1 से 8 कि.मी. तक होनी चाहिए।

इस संदर्भ में केवल 3 पूर्व प्राथमिक विद्यालय, अर्थात् 30% विद्यालय जो वाहन सुविधा प्रदान करते हैं, इस मानदण्ड की पूर्ति करते हैं, इस मानदण्ड की पूर्ति करते हैं। शेष विद्यालय अर्थात् 70% इस मानदण्ड की पूर्ति नहीं करते।

4.2.2

तालिका क्रमांक 4.2.2

विद्यालय सुरक्षा तथा सावधानी माप का विवरण -

माप	विद्यालय की संख्या (N=10)	प्रतिशत
भारी ट्रैफिक	1	10%
गड्ढे	1	10%
प्रदूषण	1	10%
स्कूल बाउण्डरी	9	90%
गेट कीपर	9	90%
अग्निशमक यंत्र	3	30%
पेड़-पौधे	4	40%

तालिका क्रमांक 4.2.2 यह दर्शाती है 10 पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में से 9 (90%) विद्यालयों में विद्यालय व खेल के मैदान के चारों ओर सुरक्षित बाउण्डरी तथा गेट कीपर उपस्थित थे। 3(30%) विद्यालयों में अग्निशमक यंत्र, 4(40%) विद्यालयों में पेड़ पौधे उपस्थित थे, इन सुरक्षा तथा सावधानी के अतिरिक्त 1(10%) विद्यालय के मुख्य रोड पर स्थित होने के

कारण बच्चों को ट्रेफिक तथा प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा था जबकि 1(10%) विद्यालय के मैदान में खुदाई के कारण गड़बड़ था।

ई.सी.ई मानदण्डों के अनुसार प्रत्येक विद्यालय को बच्चों को ट्रेफिक, प्रदूषण, नाले, गड्ढे, शोर आदि से सुरक्षा प्रदान करना चाहिए।

इस संदर्भ में 9 विद्यालय बच्चों को शोर व प्रदूषण से सुरक्षा प्रदान करते हैं जबकि एक विद्यालय के बच्चों को शोर तथा प्रदूषण का सामना करना पड़ता है। 9 विद्यालयों में सुरक्षित स्कूल बाउण्डरी तथा गेट कीपर उपस्थित थे। 4 विद्यालयों में पेड़ पौधों के कारण वातावरण अच्छा था। 3 विद्यालयों में सावधानी के तौर पर अग्निशमक यंत्र उपस्थित था।

4.2.3 बच्चों के खेलने का स्थान का विवरण

4.2.3.1

तालिका क्रमांक 4.2.3.1

कक्षा के न्यूनतम आकार का विवरण -

कक्षा का आकार (वर्ग मीटर में)	विद्यालय की संख्या (N=10)	प्रतिशत
<35	10	100%
>35	-	-

तालिका क्रमांक 4.2.3.1 यह दर्शाती है कि सभी 10 विद्यालयों में कक्षा का आकार 35 वर्ग मीटर से छोटा है।

ई.सी.ई. मापदण्डों के अनुसार पूर्व प्राथमिक विद्यालय में कक्षा का न्यूनतम आकार 35 वर्ग मीटर अथवा इससे बड़ा होना चाहिए।

इस संदर्भ में कोई भी विद्यालय इस मापदण्ड की पूर्ति नहीं करता।

4.2.3.2

तालिका क्रमांक 4.2.3.2

खेल के मैदान का न्यूनतम आकार का विवरण -

खेल के मैदान का आकार (वर्ग मीटर में)	विद्यालय की संख्या (N=10)	प्रतिशत
<300	6	60%
300 से 450 तक	2	20%
>450	2	20%

तालिका क्रमांक 4.2.3.2 यह दर्शाती है कि 10 पूर्व प्राथमिक विद्यालय में से 6(60%) विद्यालयों में खेल के मैदान का आकार 300 वर्गमीटर से कम है, 2(20%) विद्यालयों में खेल के मैदान का आकार 300 से 450 वर्ग मीटर के मध्य है, 2(20%) विद्यालयों में खेल के मैदान का आकार 450 वर्ग मीटर से अधिक है।

ई.सी.ई. मापदण्ड के अनुसार प्रत्येक पूर्व प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के खेलने के लिए मैदान का आकार न्यूनतम 300 वर्ग मीटर या इससे अधिक होना चाहिए। इस संदर्भ में 4 पूर्व प्राथमिक विद्यालय इस मापदण्ड की पूर्ति करते हैं जबकि 6 विद्यालय इसकी पूर्ति नहीं करते।

4.2.4

तालिका क्रमांक 4.2.4

कक्षा का आकार तथा छात्रों की संख्या का विवरण -

कक्षा का आकार (वर्ग मीटर में)	विद्यालय की संख्या	छात्रों की संख्या	विद्यालय की संख्या	प्रतिशत
>35	-	>30	-	-
<35	10	<30	10	100%

तालिका क्रमांक 4.2.4 यह दर्शाती है कि 10 विद्यालयों में से सभी 10(100%) विद्यालयों में कक्षा का आकार 35 वर्ग मीटर से कम है तथा सभी 10(100%) विद्यालयों में एक कक्षा में छात्र-छात्राओं की संख्या 30 से कम है। (15-25 तक)

ई.सी.ई. मानदण्ड के अनुसार प्रत्येक पूर्व प्राथमिक विद्यालय में 30 बच्चों के लिए कक्षा का न्यूनतम आकार 35 वर्गमीटर होना चाहिए।

4.2.5 विद्यालय में बच्चों को दी जाने वाली सुविधाओं का विवरण -

4.2.5.1

तालिका क्रमांक 4.2.5.1

पीने के पानी की सुविधा -

सुविधा	विद्यालय की संख्या (N=10)	प्रतिशत
एक्वागार्ड	3	30%
नल का पानी	7	70%
बच्चों के पानी की बोतल	10	100%

तालिका क्रमांक 4.2.5.1 यह प्रदर्शित करती है कि 10 पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में से 3(30%) विद्यालय में एक्वागार्ड, 7(70%) विद्यालयों में नल का पानी उपलब्ध है सभी 10(100%) विद्यालयों में बच्चे अपने घर से पानी की बोतल लाते हैं।

ई.सी.ई. मानदण्ड के अनुसार प्रत्येक पूर्व प्राथमिक विद्यालय को बच्चों को पीने के स्वच्छ पानी की सुविधा प्रदान करनी चाहिए इस संदर्भ में सभी 10 पूर्व प्राथमिक विद्यालय इस मापदण्ड की पूर्ति करते हैं।

4.2.5.2

तालिका क्रमांक 4.2.5.2

प्रसाधन सुविधा

सुविधा	विद्यालय की संख्या (N=10)	प्रतिशत
टायलेट	10	100%
साबुन	10	100%
टावल	2	20%
कूड़ादान	3	30%

तालिका क्रमांक 4.2.5.2 यह दर्शाती है कि 10 पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में से सभी 10 (100%) विद्यालयों से टायलेट तथा साबुन की सुविधा थी, 2(20%) विद्यालयों में टावल तथा 3(30%) विद्यालयों में कूड़ादान उपस्थित था।

ई.सी.ई. मानदण्ड के अनुसार प्रत्येक पूर्व प्राथमिक विद्यालय में टॉयलेट, साबुन या रस, टॉवेल या साफ कपड़ा तथा कूड़ादान की प्रसाधन सुविधा प्रदान किया जाना चाहिए।

इस संदर्भ में केवल 2-3 विद्यालय सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं।

4.2.5.3

तालिका क्रमांक 4.2.5.3

भोजन संबंधी सुविधा -

भोजन/स्नैक	विद्यालय की संख्या (N=10)	प्रतिशत
प्रतिदिन	-	-
साप्ताहिक	2	20%
बच्चों का टिफिन	10	100%

तालिका क्रमांक 4.2.5.3 के अनुसार 10 पूर्व प्राथमिक विद्यालय में से 2(20%) विद्यालय में सप्ताह में एक बार बच्चों को भोजन दिया जाता है। जबकि शेष विद्यालयों में ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। सभी 10 विद्यालयों में बच्चे घर से टिफिन लाते थे।

ई.सी.ई. मानदण्ड के अनुसार विद्यालय कार्यक्रम में बच्चों के पोषण तथा स्वास्थ्य को शामिल किया जाना अनिवार्य है। इसके लिए विद्यालय में बच्चों को प्रतिदिन भोजन बनाकर दिया जाना चाहिए।

इस संदर्भ में 10 विद्यालयों में से कोई भी विद्यालय इस मानदण्ड की पूर्ति नहीं करता।

4.2.5.4

तालिका क्रमांक 4.2.5.4

विद्यालय में सोने की व्यवस्था -

सोने की व्यवस्था	विद्यालय की संख्या (N=10)	प्रतिशत
उपलब्ध	7	70%
अनुपलब्ध	3	30%

तालिका क्रमांक 4.2.5.4 यह प्रदर्शित करती है कि 10 पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में से 7(70%) विद्यालयों में बच्चों के सोने की व्यवस्था उपलब्ध थी, 3(30%) विद्यालयों में यह अनुपलब्ध थी।

ई.सी.ई. मानदण्ड के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में बच्चों को सोने की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।

इस संदर्भ में 7 विद्यालय इस मानदण्ड की पूर्ति करते हैं जबकि 3 विद्यालय इसकी पूर्ति नहीं करते।

4.2.5.5

तालिका क्रमांक 4.2.5.5

बच्चों के कार्य को प्रदर्शित करने हेतु स्थान -

वॉल स्पेस/डिस्प्ले बोर्ड	विद्यालय की संख्या (N=10)	प्रतिशत
उपलब्ध	6	60%
अनुपलब्ध	4	40%

तालिका क्रमांक 4.2.5.5 यह प्रदर्शित करती है कि 10 पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में से 6(60%) विद्यालय में बच्चों का कार्य प्रदर्शित करने के लिए वाल स्पेस (दीवार पर स्थान) अथवा डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध था, 4(40%) विद्यालय में ऐसी कोई सुविधा नहीं थी।

ई.सी.ई. मानदण्ड के अनुसार पूर्व प्राथमिक विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में बच्चों को कार्य करने के लिए अथवा उनका कार्य प्रदर्शित करने के लिए वाल स्पेस या डिस्प्ले बोर्ड की सुविधा प्रदान करनी चाहिए।

इस संदर्भ में केवल 6 विद्यालय इस मानदण्ड की पूर्ति करते हैं।

4.2.5.6

तालिका क्रमांक 4.2.5.6

कक्षा के अतिरिक्त विद्यालय भवन के लिए न्यूनतम आवश्यकता -

आवश्यक सुविधाएँ	विद्यालय की संख्या (N=10)	प्रतिशत
टायलेट	10	100%
वरान्डा	9	90%
स्टोर रूम/स्पेस	10	100%
किचिन	2	20%

तालिका क्रमांक 4.2.5.6 यह दर्शाती है कि सभी 10(100%) पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा के अतिरिक्त टायलेट तथा स्टोर रूम विद्यालयों में स्टोर स्पेस उपस्थित था, 9(90%) विद्यालयों में बरान्डा, 2(20%) विद्यालयों में किचिन उपस्थित था।

ई.सी.ई. मानदण्ड के अनुसार प्रत्येक विद्यालय भवन में कक्षा के अतिरिक्त खेल व शिक्षण सामग्री रखने हेतु स्टोर स्पेस, वरान्डा, टायलेट तथा किचिन होना आवश्यक है।

इस संदर्भ में केवल 2 विद्यालयों भवन में सभी सुविधा है। जबकि 1 विद्यालय में वरान्डा व 8 विद्यालय में किचिन की सुविधा नहीं थी। सभी 10 विद्यालयों में टायलेट तथा स्टोर रूम उपलब्ध थे। अतः इस मानदण्ड की पूर्ति केवल 2 विद्यालय करते हैं।

4.2.5.7

तालिका क्रमांक 4.2.5.7

फर्स्ट-एड-बॉक्स सुविधा -

फर्स्ट-एड-बॉक्स	विद्यालय की संख्या (N=10)	प्रतिशत
उपलब्ध	10	100%
अनुपलब्ध	-	-

तालिका क्रमांक 4.2.5.7 यह दर्शाती है कि सभी 10(100%) पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में प्राथमिक चिकित्सा हेतु फर्स्ट-एड-बॉक्स उपलब्ध था।

ई.सी.ई. मानदण्ड के अनुसार विद्यालय में फर्स्ट-एड-बॉक्स सुविधा होना चाहिए। इस संदर्भ में सभी विद्यालय इस मानदण्ड की पूर्ति करते हैं।

4.2.5.8

तालिका क्रमांक 4.2.5.8

स्वास्थ्य संबंधी सुविधा

सुविधा	विद्यालय की संख्या (N=10)	प्रतिशत
मेडिकल चेकअप	10	100%

तालिका क्रमांक 4.2.5.8 यह दर्शाती है कि सभी 10 पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को मेडिकल चेकअप की सुविधा प्रदान की जाती है।

ई.सी.ई. मानदण्ड के अनुसार विद्यालय को बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना चाहिए और उनको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।

इस संदर्भ में प्रत्येक विद्यालय में बच्चों को मेडिकल चेकअप की सुविधा प्रदान की जाती थी।

- उपकरण तथा सामग्री -

4.2.6

तालिका क्रमांक 4.2.6

मांसपेशीय विकास के लिए विद्यालय में प्रयोग होने वाले उपकरण व सामग्री का विवरण

उपकरण व सामग्री	विद्यालय की संख्या (N=10)	प्रतिशत
बैट	4	40%
बॉल	9	90%
रस्सी	2	20%
साइकिल	6	60%
सी-साँ	2	20%
झूले	7	70%
रिंगबाल	3	30%
क्ले (मिट्टी)	4	40%
रेत	2	20%
फिसलनी	8	80%
टायर	1	10%

तालिका क्रमांक 4.2.6 यह दर्शाती है कि 10 पूर्व प्राथमिक विद्यालय में से 4(40%) विद्यालयों में बैट, 9(90%) विद्यालयों में बॉल, 6(60%) विद्यालयों में साइकिल, 7(70%) विद्यालयों में झूले, 3(30%) विद्यालयों में रिंग बॉल, 4(40%) विद्यालयों में क्ले, 8(80%) विद्यालयों में फिसलनी, विभिन्न 2(20%) विद्यालयों में रस्सी, सी-सा, रेत तथा 1(10%) विद्यालय में टायर का उपयोग मांसपेशीय विकास के लिए किया जाता था।

ई.सी.ई. मानदण्ड के अनुसार प्रत्येक पूर्व प्राथमिक विद्यालय में उन्नत उपकरण व सामग्री उपलब्ध होना चाहिए जिससे बच्चों को उछलने, कूदने, झूलने, साइकिल चलाना आदि के अनुभव प्रदान किये जा सकें। इसके लिए छोटी-बड़ी बॉल, टायर, रिंग, रेत, प्लास्टिक के डिब्बे, रस्सी आदि का उपयोग किया जा सकता है।

इस मापदण्ड के संदर्भ में पकड़ने, उछालने आदि के अनुभव हेतु 9 विद्यालयों में बॉल, साइकिलिंग के लिए 6 विद्यालयों में 3 पहिए वाली साइकिल, शरीर संतुलन के लिए 2 विद्यालयों में सी-साँ, झूलने के लिए 7 विद्यालय में झूले उपस्थित थे। जबकि एक विद्यालय में टायर उपलब्ध था। इनके अतिरिक्त विद्यालयों में रस्सी, बैट, रेत, क्ले, फिसलनी आदि सामग्री उपलब्ध थी। लगभग सभी विद्यालय इस मापदण्ड की पूर्ति करते हैं।

4.2.7

तालिका क्रमांक 4.2.7

सोचने संबंधित क्षमता के विकास के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री का विवरण -

सामग्री	विद्यालय की संख्या (N=10)	प्रतिशत
ब्लाक बनाना	8	80%
कहानी की किताबें	8	80%
पहेलियां	7	70%
खिलौने	7	70%
विभिन्न आकृतियां	5	50%
रंगीन कागज	4	40%
रंग	3	30%
चित्र/चार्ट	7	70%
सीडी	4	40%
मोती के खेल	2	20%
क्ले (मिट्टी)	2	20%
रेत	2	20%

तालिका क्रमांक 4.2.7 यह प्रदर्शित करता है कि 10 पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में से अलग-अलग 8(80%) विद्यालयों में ब्लाक बनाना, कहानी की किताबें, अलग-अलग 7(70%) विद्यालयों में खिलौने, पहेलियाँ, चित्र/चार्ट, 5(50%) विद्यालयों में विभिन्न आकृतियाँ 4(40%) विद्यालयों में रंगीन कागज, सीडी, 3(30%) विद्यालयों में रंग, अलग-अलग 2(20%) विद्यालयों में मोती के खेल, क्ले (मिट्टी), रेत उपयोग की जाती थी।

ई.सी.ई. मानदण्ड के अनुसार पूर्व प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को रचनात्मक खेल के लिए, ब्लाक, बॉक्स, प्लास्टिक ट्यूब, काल्पनिक खेल के लिए विभिन्न खिलौने तथा जोड़ तोड़ के खेल के लिए बोर्ड, मोती, तार, रेत आदि तथा भाषा विकास व बौद्धिक विकास के लिए भिन्न सामग्री उपलब्ध कराना चाहिए।

इस मानदण्ड के संदर्भ में रचनात्मक खेल के लिए 8 विद्यालयों में ब्लाक बनाना, 4 विद्यालयों में रंगीन कागज, काल्पनिक खेल के लिए 7 विद्यालयों में खिलौने, चित्र/चार्ट तथा जोड़-तोड़ खेल के लिए अलग-अलग 2 विद्यालयों में मोती, रेत व क्ले मॉडलिंग कराई जाती है। भाषा व बौद्धिक विकास के लिए 7 विद्यालयों में पहेलियाँ, 8 विद्यालय में कहानी की किताबें, 4 विद्यालय सीडी, 5 विद्यालय में भिन्न आकृतियाँ प्रदान की जाती हैं।

• विद्यालय स्टाफ -

4.2.8

तालिका क्रमांक 4.2.8

विद्यालय का स्टाफ का विवरण

शिक्षक की संख्या	विद्यालय की संख्या	सहायक की संख्या	विद्यालय की संख्या
5	4	7	3
14	2	5	2
18	1	4	2
36	1	10	1
9	1	3	1
7	1	2	1

तालिका क्रमांक 4.2.8 यह दर्शाती है कि 10 पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में से 4 विद्यालयों में 5 शिक्षक, 2 विद्यालयों में 14 शिक्षक, अलग-अलग 1 विद्यालय में शिक्षकों की संख्या क्रमशः 36, 18, 9 तथा 7 थी। 3 विद्यालयों में 7 सहायक, 2 में 4, 2 विद्यालयों 5 तथा अलग-अलग 1 विद्यालय में सहायकों की संख्या 10, 2, 3 थी।

ई.सी.ई. मापदण्डों में शिक्षक व सहायकों की संख्या से संबंधित कोई विशेष प्रावधान नहीं है।

4.2.9 शिक्षकों तथा सहायकों की योग्यता का विवरण

4.2.9.1 तालिका क्रमांक 4.2.9.1 शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता का विवरण

योग्यता	विद्यालय की संख्या (N=10)	प्रतिशत
12 वीं	1	10%
स्नातक	9	90%
स्नातकोत्तर	-	-
बी.एड.	5	50%
नर्सरी टीचर ट्रेनिंग	4	40%
अनुभव	3	30%

तालिका क्रमांक 4.2.9.1 यह दर्शाती है कि 10 पूर्व प्राथमिक विद्यालय में से 9(90%) विद्यालयों ने स्नातक, 5(50%) विद्यालयों ने बी.एड., 4(40%) विद्यालयों ने नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, 3(30%) विद्यालयों ने अनुभव तथा 1(10%) विद्यालय ने 12वीं उत्तीर्ण योग्यता को शिक्षक नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यता निर्धारित किया।

ई.सी.ई. मानदण्ड के अनुसार किसी पूर्व प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति हेतु व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए -

- (i) 10वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा 2 वर्ष की ई.सी.ई. ट्रेनिंग
- (ii) 12वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा 1 वर्ष की ई.सी.ई. ट्रेनिंग

इस संदर्भ में केवल 4 विद्यालय इस मानदण्ड की पूर्ति करते हैं, जबकि शेष 6 विद्यालय इसकी पूर्ति नहीं करते।

4.2.9.2 तालिका क्रमांक 4.2.9.2 सहायक के लिए न्यूनतम योग्यता का विवरण

योग्यता	विद्यालय की संख्या (N=10)	प्रतिशत
12वीं	4	40%
8वीं	6	60%

तालिका क्रमांक 4.2.9.2 यह प्रदर्शित करती है कि 10 पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में से 4(40%) विद्यालयों में 12वीं तथा 6(60%) विद्यालयों में 8वीं कक्षा उत्तीर्ण सहायक नियुक्ति की न्यूनतम योग्यता है।

ई.सी.ई. मापदण्ड के अनुसार पूर्व प्राथमिक विद्यालय में सहायक हेतु 8वीं कक्षा उत्तीर्ण योग्यता न्यूनतम आवश्यकता है।

इस संदर्भ में लगभग सभी विद्यालय इस मापदण्ड की पूर्ति करते हैं

4.2.10

तालिका क्रमांक 4.2.10

शिक्षक तथा सहायक के लिए न्यूनतम आयु का विवरण

शिक्षक हेतु न्यूनतम आयु	विद्यालय की संख्या	सहायक हेतु न्यूनतम आयु	विद्यालय की संख्या	प्रतिशत
<18	-	<18	-	-
>18	10	>18	10	100%

तालिका क्रमांक 4.2.10 यह प्रदर्शित करती है कि सभी पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों तथा सहायकों की आयु 18 वर्ष से अधिक थी।

ई.सी.ई. मापदण्ड के अनुसार पूर्व प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के पद पर नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। जबकि सहायक नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है।

सभी 10 विद्यालय इस मानदण्ड की पूर्ति करते हैं।

4.2.11

तालिका क्रमांक 4.2.11

कक्षा में शिक्षक तथा बच्चों की संख्या का अनुपात का विवरण

शिक्षक छात्र अनुपात	विद्यालय की संख्या (N=10)	प्रतिशत
2 : 25	2	20%
1 : 25 (सहायक के साथ)	1	10%
1 : 25 (सहायक के बिना)	7	70%

तालिका क्रमांक 4.2.11 यह दर्शाती है कि 10 पूर्व प्राथमिक विद्यालय में से 2(20%) विद्यालयों में कक्षा में 25 बच्चों पर दो शिक्षक, 1(10%) विद्यालय में एक सहायक के साथ 25 बच्चों पर एक शिक्षक तथा 7(70%) विद्यालयों में 25 बच्चों पर एक शिक्षक उपस्थित था।

ई.सी.ई. मापदण्ड के अनुसार 3-4 वर्ष के बच्चों के समूह के लिए सहायक के साथ शिक्षक छात्र अनुपात 1:25 होना चाहिए तथा 4-6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षक छात्र अनुपात 1:30 होना चाहिए यहाँ दो कक्षाएँ एक सहायक की मदद ले सकती हैं।

इस मापदण्ड के संदर्भ में केवल 3 पूर्व प्राथमिक विद्यालय इसकी पूर्ति करते हैं। जबकि 7 विद्यालय उसकी पूर्ति नहीं करते।

प्रवेश आयु -

4.2.12

तालिका क्रमांक 4.2.12

विद्यालय में बच्चों के प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु का विवरण

न्यूनतम प्रवेश आयु	विद्यालय की संख्या (N=10)	प्रतिशत
< 3 वर्ष	4	40%
> 3 वर्ष	6	60%

तालिका क्रमांक 4.2.12 यह दर्शाती है कि 10 पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में से 4(40%) विद्यालयों में बच्चों के लिए न्यूनतम प्रवेश आयु 3 वर्ष से कम है तथा 6(60%) विद्यालयों में बच्चों के लिए न्यूनतम प्रवेश आयु 3 वर्ष से अधिक है।

ई.सी.ई. मानदण्ड के अनुसार पूर्व प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 3^{1/2} वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इस संदर्भ में केवल 6 विद्यालय इस मापदण्ड की पूर्ति करते हैं।

• विद्यालय कार्यक्रम -

4.2.13

तालिका क्रमांक 4.2.13
विद्यालय की समयावधि का विवरण

समयावधि	विद्यालय की संख्या (N=10)	प्रतिशत
3 से 4 घंटे	6	60%
4 से 5 घंटे	4	40%

तालिका क्रमांक 4.2.13 के अनुसार 10 पूर्व प्राथमिक विद्यालय में से 6(60%) पूर्व प्राथमिक विद्यालयों की समयावधि 3 से 4 घंटे के मध्य थी जबकि 4(40%) पूर्व प्राथमिक विद्यालयों की समयावधि 4 से 5 घंटे थी।

ई.सी.ई. मानदण्ड के अनुसार पूर्व प्राथमिक विद्यालय कार्यक्रम की समयावधि 3 से 4 घंटे तक होनी चाहिए।

इस मापदण्ड के संदर्भ में 6 विद्यालय इसका पालन करते हैं जबकि 4 विद्यालय इसका पालन नहीं करते।

4.2.14

तालिका क्रमांक 4.2.14
विद्यालय में होने वाली बाल केन्द्रित क्रियाओं का विवरण

क्रियाएँ	विद्यालय की संख्या (N=10)	प्रतिशत
गीत व कविता	10	100%
चित्र बनाना	10	100%
छात्रों से कहानी सुनना	3	30%
खेलकूद	5	50%
पेपर फोल्डिंग	5	50%
नृत्य करना	4	40%
प्रश्न पूछना	10	100%
क्ले मॉडलिंग	2	20%
फैंसी ड्रेस	2	20%

तालिका क्रमांक 4.2.14 यह प्रदर्शित करती है कि सभी 10(100%) पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में गीत-कविता, चित्र बनाना, प्रश्न पूछना क्रियाएँ होती हैं, पृथक-पृथक 5(50%)

विद्यालयों में खेलकूद, पेपर फोल्डिंग, 3(30%) विद्यालयों में छात्रों से कहानी सुनना, 4(40%) विद्यालयों में नृत्य करना, तथा अलग-अलग 2(20%) विद्यालयों में क्ले मॉडलिंग व फैंसी ड्रेस कराकर विद्यालय क्रियाओं को बाल केन्द्रित बनाने का प्रयास किया जाता है।

ई.सी.ई. मानदण्ड में इस संदर्भ में कोई विशेष प्रावधान नहीं है। लेकिन यह उल्लेख किया गया है कि विद्यालय कार्यक्रम बाल केन्द्रित तथा क्रिया प्रधान होना चाहिए जो बच्चों के शारीरिक तथा मानसिक विकास में सहयोगी होना चाहिए।

इस संदर्भ में अधिकांश विद्यालयों में यह क्रियाएँ होती हैं।

4.2.15

तालिका क्रमांक 4.2.15

बच्चों के कार्यों का रिकार्ड रखने की विधियों का विवरण

रिकार्ड रखने की विधि	विद्यालय की संख्या (N=10)	प्रतिशत
रिपोर्ट कार्ड	10	100%
बच्चों के कार्यों की फाइल	3	30%
शिक्षक की डायरी	4	40%

तालिका क्रमांक 4.2.15 यह प्रदर्शित करती है कि बच्चों के कार्यों का रिकार्ड रखने के क्रम में सभी 10(100%) पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में रिपोर्ट कार्ड, 3(30%) विद्यालयों में बच्चों के कार्यों की फाइल तथा 4(40%) विद्यालयों में शिक्षक की डायरी का प्रयोग किया गया।

ई.सी.ई. मानदण्ड के अनुसार, शिक्षा सत्र के दौरान बच्चों के विकास का रिकार्ड रखा जाना चाहिए।

इस संदर्भ में सभी विद्यालय इस मानदण्ड की पूर्ति करते हैं तथा सत्र के समाप्ति पर रिपोर्ट कार्ड व फाइल अभिभावकों को दे दिया जाता है।

प्रश्नावली (शिक्षकों के लिए)

शिक्षकों के लिए बनाई गई प्रश्नावली पर शिक्षकों द्वारा दी गई प्रतिक्रियाओं का वर्णन निम्नलिखित है -

4.3.1

10 पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में से 5 पूर्व प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को प्रारंभिक बाल शिक्षा कार्यक्रम तथा इसके उद्देश्यों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, प्रतिक्रिया के तौर पर उन्होंने केवल यह कहा कि यह छोटे बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा है। 2 पूर्व प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी है, पर उद्देश्य के प्रति वे उदासीन रहे तथा बिना तर्कपूर्ण व ठोस आधार के उनका कहना था कि इसमें खेल विधि द्वारा पढ़ाया जाता है। 3 विद्यालय के शिक्षकों को प्रारंभिक बाल शिक्षा कार्यक्रम के बारे में स्पष्ट जानकारी थी तथा इसके उद्देश्य की भी जानकारी थी।

4.3.2

प्रारंभिक बाल शिक्षा कार्यक्रम की आवश्यकता के बारे में पूछने पर सभी 10 पूर्व प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों ने इसकी आवश्यकता को स्वीकार किया। 4 विद्यालयों के शिक्षकों ने इसके लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। 3 विद्यालय के शिक्षकों ने यह कहा कि यह बच्चों को शिक्षा संबंधी आधार प्रदान करती है जिस पर उनके आगे के विद्यालय जीवन की सफलता निर्भर करती है इसलिए यह बहुत आवश्यक है। 3 विद्यालयों के शिक्षकों का कहना था कि यह बच्चे को मानसिक तथा शारीरिक रूप से सक्रिय बनाती है तथा पढ़ाई के प्रति रुचि जागृत करती है।

4.3.3

बच्चों के विकास में प्रारंभिक शिक्षा की भूमिका पर सभी 10 पूर्व प्राथमिक विद्यालयों के 10 विद्यालयों के सभी शिक्षकों ने यह माना कि यह शिक्षा बच्चों के विकास में सकारात्मक सहयोग देती है। 5 विद्यालय के शिक्षक यह बताने में असमर्थ रहे कि यह शिक्षा बाल विकास में किस प्रकार सहायक है। 2 विद्यालय के शिक्षकों ने कहा कि यह बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहयोग देती है तथा आगे विद्यालय के लिए बच्चों में समायोजन क्षमता का विकास करती है। 3 विद्यालय के शिक्षकों ने कहा यह बच्चों में सीखने के प्रति रुचि जगाती है तथा बच्चे को भावनात्मक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक रूप से सक्रिय बनाती है।

4.3.4

तालिका क्रमांक 4.3.1

शिक्षक-अभिभावक संपर्क के लिए की जाने वाली गतिविधियों का विवरण -

गतिविधियाँ	विद्यालय की संख्या (N=10)	प्रतिशत
शिक्षक-अभिभावक सभा	10	100%
छात्र डायरी	4	40%
औपचारिक वार्ता	1	10%
फोन पर	2	20%

तालिका क्रमांक 4.3.1 यह दर्शाती है कि सभी 10(100%) पूर्व प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक बच्चों के अभिभावकों से संपर्क के लिए प्रत्येक महीने शिक्षक - अभिभावक सभा करते थे, 4(40%) विद्यालय के शिक्षक विद्यालय कार्यों के लिए बच्चों की डायरी द्वारा अभिभावकों से संपर्क करते थे। 2(20%) विद्यालय के शिक्षक फोन द्वारा अभिभावक से बात करते थे जबकि

1(10%) विद्यालय के शिक्षक जरूरत होने पर औपचारिक वार्ता द्वारा अभिभावकों से संपर्क करते थे।

ई.सी.ई. मापदण्डों के अनुसार शिक्षकों को अभिभावकों से सभा द्वारा तथा घर जाकर संपर्क करते रहना चाहिए जिससे ई.सी.ई. कार्यक्रम में अभिभावकों की सहभागिता बनी रहे।

4.3.5

10 पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में से 6 विद्यालय के शिक्षकों में अभिभावकों को बच्चों के स्वास्थ्य व उचित पोषण व शिष्टाचार हेतु सलाह देने की बात कही, 4 विद्यालय के शिक्षकों ने बच्चों में अध्ययन व गृहकार्य में अभिभावक को ध्यान व सहयोग करने की सलाह दी। 3 विद्यालय के शिक्षकों ने अभिभावकों को बच्चों को समझने व समय देने के लिए सलाह दी।

4.3.6

10 पूर्व प्राथमिक विद्यालय में से 8 विद्यालयों के शिक्षक विद्यालय द्वारा प्राप्त उपकरण व सामग्री से पूरी तरह संतुष्ट थे। जबकि 1 विद्यालय के शिक्षकों का कहना था कि सामग्री की मात्रा पूर्ण रूप से संतुष्टिजनक नहीं है। 1 विद्यालय के शिक्षक विद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली सामग्री से संतुष्ट नहीं थे।

ई.सी.ई. मानदण्डों के अनुसार प्रत्येक विद्यालय को बच्चों के शारीरिक, बौद्धिक, सृजनात्मक विकास के लिए पर्याप्त सामग्री प्रदान करना चाहिए

4.3.7

10 पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में से 8 विद्यालयों के शिक्षकों ने विश्वासपूर्वक यह बताया कि बच्चे कक्षा में कराई जाने वाली सभी क्रियाओं में रुचि लेते हैं जबकि 2 विद्यालय के शिक्षकों ने कहा कि बच्चे अधिकांशतः रुचिपूर्वक क्रियाओं में भाग लेते हैं परन्तु कभी-कभी वे सहभागिता में रुचि व आनंद नहीं लेते हैं।

4.3.8

तालिका क्रमांक 4.3.2

बच्चों को पढ़ाने के लिए विद्यालयों में प्रयोग की जाने वाली विधियों का विवरण -

शिक्षण विधि	विद्यालय की संख्या (N=10)	प्रतिशत
खेल विधि	10	100%
प्रश्न उत्तर विधि	7	70%
कहानी विधि	10	100%
गीत - कविता	10	100%
प्रदर्शन	6	60%
स्वयं करके सीखने देते हैं	1	10%

तालिका क्रमांक 4.3.2 यह दर्शाती है कि सभी 10(100%) पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक खेल विधि, कहानी व गीत कविता विधि का उपयोग पढ़ाने में करते थे। 7(70%) विद्यालयों के शिक्षक प्रश्न उत्तर विधि का उपयोग करते थे, 6(60%) विद्यालयों में शिक्षक प्रदर्शन विधि के उपयोग द्वारा पढ़ाते थे जबकि 1(10%) विद्यालय में बच्चों का स्वयं करके सीखने देते हैं।

ई.सी.ई. मापदण्डों के अनुसार पूर्व प्राथमिक विद्यालय कार्यक्रम में बच्चों को खेल तथा क्रिया आधारित विधि द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए तथा उन्हें 3 'R' का औपचारिक शिक्षण नहीं दिया जाना चाहिए।

इस क्रम में सभी 10 विद्यालयों में खेल विधि द्वारा, कहानी विधि, गीत कविता विधि द्वारा, 7 विद्यालयों में प्रश्न उत्तर विधि द्वारा, 6 विद्यालयों में प्रदर्शन विधि द्वारा तथा 11 विद्यालयों में स्वयं करके सीखने पर जोर दिया गया।

4.3.9

पूर्व प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के विकास के लिए होने वाली क्रियाओं के बारे में शिक्षकों की प्रतिक्रिया निम्नलिखित है :-

4.3.9.1 शारीरिक विकास -

बच्चों की बड़ी तथा छोटी मांसपेशियों के विकास तथा समन्वय के लिए विद्यालय में पीटी, ड्रिल, सामान्य व्यायाम, खेलकूद जैसे- कूदना, दौड़ना, फिसलना, गेंद उछालना, झूले झूलना, चित्र बनाना, साइकिल चलाना, ब्लाक बनाना, क्ले मॉडलिंग, नृत्य, योग, चित्र बनाना आदि क्रियाएँ कराई जाती हैं।

4.3.9.2 शब्दकोष तथा भाषा विकास -

बच्चों के शब्द कोष के विकास तथा बोलना, सुनना, भाषा कौशल के विकास के लिए शिक्षक बच्चों को कहानी सुनाते हैं, उनसे कहानी सुनते हैं, गीत व कविता का अभ्यास कराते हैं, बच्चों को कक्षा संबोधित करने के लिए, अपने अनुभव बताने के लिए, बातें करने का अवसर प्रदान करते हैं, उनसे प्रश्न पूछते हैं। डॉट जोड़कर तथा वर्क बुक द्वारा लिखने के कौशल का विकास किया जाता है।

4.3.9.3 बौद्धिक विकास -

बच्चों में सोचने की क्षमता के विकास हेतु कहानी, चित्र-पुस्तक, पहेलियों, ब्लाक बनाना तथा अन्य शैक्षिक सामग्री जैसे सीडी, विभिन्न आकृति, विभिन्न रंगों के आकर आदि का उपयोग किया गया। इसके अतिरिक्त शिक्षक द्वारा व्याख्या की जाती है।

4.3.9.4 सृजनशीलता का विकास -

बच्चों में नवीन व मौलिक सोच विकसित करने के लिए तथा उनकी सृजनशीलता के विकास के लिए पूर्व प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक चित्र बनाना, रंग भरना, कागज मोड़ना, कागज चिपकाना, थम्ब प्रिंटिंग, पेंटिंग, रद्दी सामान से नयी वस्तु बनाना, क्ले मॉडलिंग आदि क्रियाएँ कराते हैं।

4.3.9.5 सामाजिक व भावनात्मक विकास -

बच्चों में सहभागिता, सहयोग, समन्वय, सामाजिक तथा भावनात्मक विकास के लिए पूर्व प्राथमिक विद्यालयों का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है यहाँ बच्चों को कहानी, नृत्य, नाटक, सामूहिक खेल, सामाजिक शिष्टाचार की आदतों का प्रशिक्षण, टिफिन शेयर करना, शेयरिंग पार्टी करके तथा मित्रता कराकर दूसरों की मदद करने की भावना का विकास किया जाता है। विभिन्न दिवस व उत्सव मनाकर बच्चों में स्वस्थ सामाजिक जीवन की नींव डाली जाती है।

4.3.10

बच्चों का मन विद्यालय में लगा रहे और वे प्रसन्न व आनंदित रहे इस पर पूर्व प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों ने कहा कि इसके लिए विद्यालय में विभिन्न क्रियाएँ जैसे- खेल,

नृत्य, गीत व कविता, कहानी, संगीत क्रियाएँ कराई जाती हैं। बच्चों के साथ प्रेम व स्नेह का व्यवहार किया जाता है तथा बच्चों का वैयक्तिक रूप से ध्यान रखा जाता है। उन्हें उचित स्वतंत्रता प्रदान की जाती है ताकि वे खुश रहे इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रतियोगिता व मनोरंजक क्रियाएँ की जाती हैं। उनका जन्मदिन व उत्सव मनाये जाते हैं तथा पुरस्कार व उपहार दिये जाते हैं।

4.3.11

विद्यालय में दैनिक क्रियाओं के योजना के आधार के बारे में पूछने पर पूर्व प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों ने बताया कि वे दैनिक क्रियाओं को पाठ्यक्रम के आधार पर योजनाबद्ध करते हैं जिसमें वे क्रियाएँ शामिल की जाती हैं जिससे बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास हो और वे रुचिपूर्वक उनमें भाग लेकर आनंद ले सकें।

4.3.12

तालिका क्रमांक 4.3.3

बच्चों के मूल्यांकन के लिए अपनाई जाने वाली विधियों का विवरण -

मूल्यांकन विधि	विद्यालय की संख्या (N=10)	प्रतिशत
मौखिक परीक्षा	10	100%
खेल गतिविधि द्वारा	4	40%
अवलोकन द्वारा	5	50%
निष्पादन (परफार्मेंस)	4	40%
लिखित परीक्षा	8	80%
कोई मूल्यांकन नहीं किया जाता	-	-

तालिका 4.3.3 यह प्रदर्शित करती है कि 10 पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में से सभी 10 विद्यालयों में बच्चों के मूल्यांकन के लिए मौखिक परीक्षा होती थी 8 विद्यालयों में लिखित परीक्षा, 5 विद्यालय अवलोकन, 4 विद्यालयों में खेल गतिविधि तथा 4 विद्यालयों में निष्पादन (परफार्मेंस) द्वारा शिक्षक बच्चों का मूल्यांकन करते हैं।

ई.सी.ई. के मानदण्डों के अनुसार बच्चों का सतत् तथा व्यापक मूल्यांकन किया जाना चाहिए जिसमें उनमें कार्यों, खेल का अनौपचारिक अवलोकन किया जाना चाहिए। इस अवस्था में कोई औपचारिक परीक्षा नहीं होनी चाहिए। 80% विद्यालयों में लिखित परीक्षा होती थी अतः 80% विद्यालय इस मापदण्ड की पूर्ति नहीं करते, शेष 20% विद्यालय इसकी आंशिक पूर्ति करते हैं।

4.3.13

तालिका क्रमांक 4.3.4

विद्यालय में शिक्षण की भाषा माध्यम का विवरण -

भाषा माध्यम	विद्यालय की संख्या (N=10)	प्रतिशत
हिन्दी	6	60%
अंग्रेजी	10	100%

तालिका 4.3.4 यह प्रदर्शित करती है कि 10 पूर्व प्राथमिक विद्यालय में से सभी 10 (100%) विद्यालयों में बच्चों से बात करने व उन्हें निर्देश देने के लिए शिक्षक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग

करते थे। इनमें से 6(60%) विद्यालयों में शिक्षक अंग्रेजी के साथ-साथ बच्चों के सुविधा अनुसार हिन्दी भाषा का भी प्रयोग करते थे।

ई.सी.ई. मानदण्डों के अनुसार पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों से संप्रेषण का माध्यम उनकी मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। इस प्रकार केवल 6 विद्यालय इस मानदण्ड की आंशिक पूर्ति करते हैं जबकि 4 विद्यालय इसकी पूर्ति नहीं करते हैं।

4.3.14

तालिका क्रमांक 4.3.5

पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के विकास के मूल्यांकन का विवरण -

मूल्यांकन प्रक्रिया	विद्यालय की संख्या (N=10)	प्रतिशत
प्रत्येक सप्ताह	1	10%
मासिक	5	50%
त्रैमासिक	4	40%
अर्द्ध वार्षिक	-	-
वार्षिक	-	-

तालिका 4.3.5 यह दर्शाती है कि 10 पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में से 1(10%) विद्यालय में शिक्षक बच्चों का प्रत्येक सप्ताह मूल्यांकन करते थे, 5(50%) विद्यालय में मासिक तथा 4(40%) विद्यालयों में त्रैमासिक मूल्यांकन किया जाता था।

ई.सी.ई. मापदण्ड के अनुसार विद्यालय में प्रत्येक बच्चे के विकास का अनौपचारिक विधि से सतत् तथा व्यापक मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में सभी 10 विद्यालय बच्चों का सतत् मूल्यांकन करते थे जिसके लिए 1 विद्यालय में प्रत्येक सप्ताह 5 विद्यालयों में मासिक तथा 4 विद्यालयों में त्रैमासिक मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा बच्चों के विकास का मूल्यांकन किया गया।

4.3.15

पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए सुझाव देने के प्रक्रम में शिक्षकों ने निम्नलिखित सुझाव दिये -

- प्रारंभिक बाल शिक्षा को और अधिक रुचिपूर्ण तथा क्रिया आधारित बनाना चाहिए।
- विद्यालय में प्रवेश बच्चे की क्षमता के अनुसार दिलाना चाहिए अधिक कम उम्र के बच्चों को विद्यालय में प्रवेश नहीं देना चाहिए।
- विद्यालय प्रक्रिया व कार्यक्रम बच्चों के विकास पर केन्द्रित होनी चाहिए यह अभिभावकों की संतुष्टि पर आधारित नहीं होनी चाहिए।
- बाल शिक्षा कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए यह आवश्यक है कि अभिभावक इसके प्रति जागरूक हो।
- विद्यालय कार्यक्रम पूरी तरह क्रिया आधारित होना चाहिए जहाँ बातों और खेल में बच्चों को सिखाया जाए यह किताबी तथा बोझिल नहीं होनी चाहिए।
- शिक्षकों को बच्चों की प्रेमपूर्वक देखरेख करनी चाहिए उन्हें समझना चाहिए।